( राजस्थान–सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
**प्रकरण संख्या :– 79/2024**
**पंजीकरण सं. :– 2024/171**

**बउनवान**

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)
(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री प्रमोद पुत्र श्री हरिशंकर कलाल निवासी समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) (विक्रेता) मैसर्स प्रमोद भोजनालय, एन.एच.–27 समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ (राज.)
2. श्री मयंक शिवहरे पुत्र श्री हरिशंकर निवासी हॉस्पिटल वाला रास्ता, समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) (मालिक) मैसर्स प्रमोद भोजनालय, एन.एच.–27 समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

### निर्णय दिनांक 29.10.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.07.2024 को मैसर्स प्रमोद भोजनालय, एन.एच.–27 समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री प्रमोद पुत्र श्री हरिशंकर कलाल (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.07.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** 04 किग्रा फ्रिज में स्टील की ट्रे में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** 800 ग्राम एक साफ–सूखे स्टील की ट्रे में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री प्रमोद पुत्र श्री हरिशंकर कलाल (विक्रेता) को 80/– रूपये (अक्षरे अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** को स्टील की ट्रे में एकरूप कर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–[illegible] की 16–16 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और [illegible].ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–2099 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर [illegible] के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक [illegible] हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2099 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से [illegible] चिपकाकर प्रत्येक भाग [illegible] से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक [illegible]स्ताक्षर नियमानुसार इस [illegible] करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री प्रमोद पुत्र श्री हरिशंकर कलाल (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2024/872 दिनांक 31.07.2024 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 737/PHL/kota/Act/2024/792 दिनांक 26.07.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थीगण के द्वारा दौराने बहस** कथन किया गया कि हमारे द्वारा दूध खरीदकर उससे दही बनाकर बेचा जाता है जिसमें हमारे द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः निवेदन है कि हमारे खिलाफ प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 737/PHL/kota/Act/2024/792 दिनांक 26.07.2024 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 737/PHL/kota/Act/2024/792 दिनांक 26.07.2024 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 10,000/— रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **29.10.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)